UPRVUNL

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

कारपोरेट लेखा इकाई

9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN : U40101UP1980SGC005065

पत्रांक : 27 / उ0नि0लि0 / उ0मु0ले0(लेखा)

दिनांक 01/07/2020

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में परियोजनाओं / मुख्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनमुादनोपरान्त मुख्यालय स्थित विभिन्न इकाईयों के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से धन निर्गत करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जाती है। धन निर्गमन अनुमोदन का किसी भी प्रकार से पुनः उपयोग न हो इस उददेश्य से धन निर्गमन की अनुमोदित मूल नोटशीट वित्त इकाई द्वारा रख ली जाती है तथा वित्त इकाई द्वारा रखे गये इस नोट की छाया प्रति पत्रावली में अवस्थित कर सम्बन्धित इकाई को प्रेषित कर दी जाती है। परिणामस्वरूप सम्बन्धित इकाई को पत्रावली का अग्रेतर प्रयोग में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा धन निर्गमन हेतु प्रायः अलग अस्थायी पत्रावली परिचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में धन निर्गमन सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों का समेकित विवरण संलग्न नही होने से वित्त इकाई को धन निर्गमन हेतु अनुमोदन प्रदान करने एवं धन निर्गमन में कठिनाई उत्पन्न होती है तथा बहुमूल्य समय भी व्यतीत होता है।

वर्तमान में प्रचलित उपरोक्त व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा व्यवस्था को सुदृढ एवं पारदर्शी बनाने हेतु निर्णय लिया गया कि धन निर्गमन की मांग करने वाली प्रत्येक इकाई धन निर्गमन स्वीकृति के संलग्न प्रारूप में सूचना भरकर उसकी दो प्रतियों (एक मूल एवं एक डुप्लीकेट) पत्रावली में अवस्थित करेगी जिसकी मूल प्रति वित्त इकाई द्वारा रखी जायेगी तथा डुप्लीकेट प्रति सन्दर्भ हेतु पत्रावली मे अवस्थित रहेगी। इस नवीन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप पूर्व से धन निर्गमन की अनुमोदित मूल नोटशीट वित्त इकाई द्वारा रखने की आवश्यकता नही रह जायेगी अर्थात पत्रावली में अवस्थित कोई भी मूल नोटशीट वित्त इकाई द्वारा नहीं रखी जायेगी। उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

संलग्न : यथोपरि।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : /उ0नि0लि0/ उ0मु0ले0(लेखा), तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / परियोजना एवं वाणिज्य) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर / निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा) / (जानपद) / (जानपद नव–परियोजना), तापीय परिचालन इकाई / ईंधन / पीपीएमएम / वाणिज्य / आर0एण्ड एम0 / प्रगति इकाई, शक्ति भवन विस्तार, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झांसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर)।
5. उप मुख्य लेखाधिकारी(वित्त / सम्प्रेक्षा), शक्ति भवन विस्तार, उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
6. उप मुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा (सोनभद्र) / पारीछा(झांसी) / कासिमपुर(अलीगढ़) / पनकी(कानपुर)।
7. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
(राजीव सरीही)
उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा)

Er. Ankur Bhardwaj
AB
2/7/20

UPRVUNL

धन निर्गमन स्वीकृति

इकाई का नाम :–

व्ययः आयगत / पूँजीगत / अन्य :–

प्रशासनिक अनुमोदन एवं धनराशि :–

दिनांक :–

एल0ओ0ए0 / कान्ट्रेक्ट नं0 :–

कुल कान्ट्रेक्ट राशि :–

(धनराशि रूपये में)

क्रम सं0	फर्म / ठेकेदार का नाम	कार्य / सामग्री / अन्य का नाम	अभी तक किया जा चुका कुल संचयी भुगतान	भुगतान हेतु प्रस्तावित राशि	निर्गमन हेतु स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

अधि0अभि0 / अधी0अभि0

मुख्य अभि0(स्तर–1 / स्तर–2)

निदेशक (तकनीकी)

निदेशक (वित्त)

प्रबन्ध निदेशक

टिप्पणी :– ....

....